

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

सेवा में

1. जिला विकास अधिकारी
2. सिटी मजिस्ट्रेट
3. जिला अपर मजिस्ट्रेट
4. पुलिस अधीक्षक
5. चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय
6. नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
8. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद
9. जिला विद्यालय निरीक्षक
10. जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी
11. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
12. मुख्य खाद्य निरीक्षक
13. जिला सूचना अधिकारी
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी
15. जिला परियोजना अधिकारी
16. स्टेशन मास्टर, रेल विभाग उरई
17. क्रीडा अधिकारी, खेल विभाग
18. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय इण्टर कॉलेज उरई
19. प्रधानाचार्य, डी०वी०सी०, उरई
20. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र/नया प्रा०स्वा०केन्द्र
21. नेहरू युवा केन्द्र
22. परमार्थ स्वयंसेवी संस्था
23. अनुरागिनी स्वयंसेवी संस्था
24. आशा ग्रामोत्थान संस्थान ए०जी०ओ०
25. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी
26. जिला पंचायत राज्य अधिकारी
27. जिला मनोरंजन कर अधिकारी
28. जिला क्रय एवं विक्रय अधिकारी
29. जिला पूर्ति अधिकारी
30. जिला परिवहन अधिकारी
31. राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अधिकारी
32. पत्रकारगण (अमर उजाला, दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक जागरण झॉसी, दैनिक आज, हिन्दुस्तान)

पत्रांक-सी०एम०ओ०/डी०टी०सी०सी०/कोरोना/2019-20/८५५

दिनांक- 23/03/2020

विषय :- जनपद में कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016-17/201-04 दिनांक 27/09/2016 के द्वारा जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है। जैसा कि आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को

D.S./DTCC/NTCP

महामारी घोषित किया जा चुका है तथा उ०प्र० सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर-18001805145 जारी किया गया है।

चूंकि जनपद में अधिकांश लोग धूमपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने में सहायक हो सकता है।

अतः आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी०ओ०टी०पी०ए०-2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान मसाला खाकर यहाँ-वहाँ थूकने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
02. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
03. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।
04. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
05. नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल, उरई।
06. स्टैनो, कार्यालय मु०चि०अ०, उरई।
07. समस्त पटल सहायक/लेखा लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मु०चि०अ०, उरई।
08. समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
09. समस्त संविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालय मु०चि०अ०, उरई।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उरई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई